

3-10-24

पत्रावली पेश हुई काकीगण अधिकृत
छिपक। उतिवारी सं. 1 के अनुसार
उत्तर में विपरीत कि। की ओर से
17 अक्टूबर ही बकालत नामा उल्लेख
किये हुए अब उत्तर दिया जाकर
पत्रावली दिनांक 22-10-24 में पेश है

27/10/24

पत्रावली पेश हुई काकीगण अधिकृत
उतिवारी सं. 1 की ओर से बकालत
नामा केव लिये हुआ आगामी पेशी
पर बकालत नामा पेश नहीं करने
पर अब पक्षीय अधिकृत की ओर से
पत्रावली पेश करने का बकालत नामा दिनांक
7/11/24 को पेश की

पत्रावली
आदि से
27/10
इत्यादि
दिनांक

7/11/24

पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष
पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त
वकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश
दिनांक 12/11/24 को पेश हो।

आदेश से सिद्ध

13/11/24


पत्रावली पेश हुई। वादी - वादी आधीन
अनुपस्थित। उतिवारी सं. 1 की ओर से
आधीनकागण का बकालत नामा पेश किया
गया। शामिल जिसल किया गया। वादी -
वादी आधीनकागण की नियमानुसार तीन
बार आवाजे लगावाई गई। परन्तु कोई
उपस्थित नहीं आया। वादी - वादी आधीनकागण

भगवान v/s शहनी

2022/02

12/11/24

की न्यायालय में पुनः 1 बार आवाज लगवाई गई।
परन्तु कोई उपस्थित नहीं आया। समय 5.50 PM
चुका है। वारी-वारी अधिवक्ता के न्यायालय में उपस्थित
नहीं आते हैं। वारीगण द्वारा उल्लूकवाद अन्तर्गत रावा-
काठकारी अधिवक्ता की द्वारा ~~188 को अद. 88, 89,~~
92 क व 188 को अदम हाजरी- अदम पैवी में
स्वार्थ किला जाता है। निधि सरेशचलाल सुनाता
जाना प्रवाली फैसल शुमार होकर दायील दफतर है
तथा नम्बर से कम है।


12/11/24
अधिवक्ता कलकत्ता
भोलवाड़ा